178

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3737—तीन/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16—09—2013 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 263/निगरानी/2010—11.

.....

रावेन्द्र सिंह तनय स्व0 सीताराम सिंह
निवासी ग्राम बेलवा पैकान तहसील
सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 हाल निवासी
उर्रहट रीवा जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

रामाधीन सिंह तनय स्व0 माधव सिंह
निवासी ग्राम बेलवा पैकान तहसील
सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

—— अनावेदक

.....

श्री प्रवीण मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री बृजेन्द्र शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश
(आज दिनांक 22/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16—09—2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भूमि खसरा कमांक पुराना 53/1 नया नम्बर 60 रकवा 2.11 एकड़ का अंश भाग 7810 वर्गफीट स्थित मौजा उर्रहट के संबंध में संहिता की धारा 115 के तहत कब्जा तथा आबादी दर्ज कराने हेतु

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.6.09 को इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 116 के तहत खसरे में नवीन प्रविष्टि दर्ज नहीं की जा सकती तथा कलेक्टर रीवा के आदेश प्रकरण कमांक 421/शिकायत/07 दिनांक 26.2.07 के द्वारा संहिता की धारा 115/116 के तहत संबंधित प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया जाना चाहिये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कलेक्टर के आदेश को दर किनार करते हुये आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 23.6.09 के जबाव में गैर निगरानीकर्ता द्वारा यह कहा गया कि उनका प्रकरण संहिता की धारा 21 का है इसलिये कलेक्टर उक्त आदेश प्रकरण में प्रभावशील नहीं होगा। अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा का प्रकरण कमांक 61/अ–6अ/07–08 में पारित आदेश दिनांक 20.7.09 यह कहते हुये मान्य किया है कि साक्ष्य हेतु नियत किये जाने पर कोई विधि त्रुटि नहीं की है। इससे से दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.9.13 में अपर कलेक्टर के आदेश को उचित मानते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता एवं अनावेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन करने अपर कलेक्टर के समक्ष न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण कमांक 61/अ–6अ/07–08 में पारित आदेश दिनांक 20.7.09 के आदेश का अवलोकन किया जिसमें दिनांक 21.12.06 को प्रकरण प्रचलन योग्य पाये जाने के उपरांत उस आदेश की निगरानी आवेदक द्वारा की गई थी जिसे निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रचलनशील योग्य पाये जाने से साक्ष्य हेतु नियत किया गया। अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि निगरानीकर्ता के द्वारा दिनांक 21.12.06 के आदेश के विरुद्ध निगरानी की गई थी जिसमें दिनांक 16.5.07 को प्रकरण प्रत्यावर्तित कर उभय पक्ष की सुनवाई

के उपरांत निर्णय लेने हेतु प्रेषित किया गयां दिनांक 23.6.09 को प्रकरण समाप्त करनेकी आपत्ति की थी जो आपत्ति खारिज किये जाने के उपरांत प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत कियां गया था। अपर कलेक्टर के न्यायालय में दिनांक 21.12.06 के आदेश की निगरानी दिनांक 16.5.07 को की गई थी अपर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत निगरानी में कोई विधिक आधार नहीं पाया गया और निगरानी निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अपर आयुक्त का आदेश उचति प्रतीत होता है।

4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 263/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 16–9–13 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर